मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों के कैडेस्ट्रल नक्शों के जियोरिफ्रेसिंग का कार्य, नक्शों के फील्ड में सत्यापन, नक्शों के प्रारंभिक एवं अंतिम प्रकाशन, प्रिंटिंग कार्य, कंट्रोल पाईट का निर्धारण, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण आदि कार्यो हेतु ₹100 प्रतीक का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक न्याय योजना हेतु ₹877.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस हेतु ₹8,77,00,000/- अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 9

फसलों की सांख्यिकी में सुधार एवं योजना अंतर्गत आकस्मिकता निधि से ₹700/- प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 700/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

मद क्रमांक 10 से 16

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समय पर भेजने योजना अंतर्गत आकस्मिकता निधि से ₹700/- प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 700/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।